दिनांक 21.09.2023
प्रेस विज्ञप्ति 24/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

आपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जघन्य अपराधों में अभियुक्तों को कारावास आदि की सजा

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व समय–समय पर दिए गए निर्देशों के क्रम में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए आपरेशन कन्विक्शन कार्य योजना के तहत उ0प्र0 पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा मा0 न्यायालय में संयुक्त रूप से प्रभावी पैरवी कराकर न्यूनतम समय में अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त के क्रम में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा हत्या, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट आदि जघन्य अपराधों में मुख्यतः निम्न जनपदों में अभियुक्तों को कारावास आदि की सजा सुनाई गई है।

- **जनपद उन्नाव/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अग्रसेन को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हमीरपुर/थाना कुरारा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 27 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना कुरारा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376ए,बी/452/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त दीपू को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 27 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गाजीपुर/थाना शादियाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गाजीपुर द्वारा थाना शादियाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त बृजेश कुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फतेहपुर/थाना मलवां (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना मलवां पर पंजीकृत अभियोग में धारा 377 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त वीरेन्द्र पाल सिंह उर्फ मोनू को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **जनपद उन्नाव/थाना अचलगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना अचलगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 366/354/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त विनोद को 05 वर्ष के कठोर कारावास व 11 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

जनपद कुशीनगर/थाना रामकोला

- **पुलिस कार्यवाही में 25—25 हजार रूपये के 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 11 लाख 30 हजार रूपये कीमत की चोरी के सोने—चॉदी के आभूषण**
- **01 लाख 26 हजार रूपये नगद**
- **04 मोबाइल फोन**
- **फर्जी आर0सी0, मोहर**
- **चोरी करने के उपकरण**
- **घटना में प्रयुक्त स्कार्पियों वाहन**
- **04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 21.09.2023 को थाना रामकोला व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान माघी मठिया नहर पुल के पास पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त 1—मुकद्दर अली 2—जाफर अली 3—जाहिद अली घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 4—समीदुल अली सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 11 लाख 30 हजार रूपये कीमत की चोरी के सोने—चॉदी के आभूषण 01 लाख 26 हजार रूपये नगद, 04 मोबाइल फोन, फर्जी आर0सी0, मोहर, चोरी करने के उपकरण, घटना में प्रयुक्त स्कार्पियों वाहन, 04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त 1–मुकद्दर अली 2–जाफर अली 3–जाहिद अली जनपद कुशीनगर से वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों पर चोरी के लगभग एक दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना रामकोला पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मुकद्दर अली निवासी गढ़िया पैगंबर थाना हजरतपुर जनपद बदायूं।

2–जाफर अली निवासी गढ़िया पैगंबर थाना हजरतपुर जनपद बदायूं।

3–जाहिद अली निवासी गढ़िया पैगंबर थाना हजरतपुर जनपद बदायूं।

4–समीदुल अली निवासी मुनता नगला थाना सिकंदरपुर वैश्य जनपद कासगंज।

बरामदगी

1–लगभग 11 लाख 30 हजार रूपये कीमत की चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण ।

2–01 लाख 26 हजार रूपये नगद।

3–04 मोबाइल फोन।

4–फर्जी आर0सी0, मोहर।

5–चोरी करने के उपकरण।

6–घटना में प्रयुक्त स्कार्पियों वाहन।

7–04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद गाजीपुर/थाना मुहम्मदाबाद

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 05 हजार रूपये नगद**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 21.09.2023 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर परसार तिराहा से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शिवकुमार उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया

गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 05 हजार रूपये नगद, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना मुहम्मदाबाद पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद गाजीपुर, मऊ के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शिवकुमार उर्फ सोनू निवासी बैरबग्गा भरौटी थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।

बरामदगी

1—चोरी के 05 हजार रूपये नगद।

2—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद रायबरेली/थाना खीरों

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 21.09.2023 को थाना खीरों पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कानपुर—लालगंज रोड निहस्था मोड़ के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त योगेन्द्र को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना गुरूबक्शगंज पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना खीरों पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—योगेन्द्र निवासी वासिलपुर थाना तिलवारी जनपद बांदा।

जनपद उन्नाव/थाना कोतवाली सदर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये 84 हजार 900 रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनॉकः 21.09.2023 को थाना कोतवाली सदर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कांशीराम कोलोनी तिराहा से 02 अभियुक्तों 1–प्रदीप उर्फ मंजीत 2–अभिषेक प्रताप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 84 हजार 900 रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, बैग, डायरी, नोट बुक, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली सदर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली सदर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रदीप उर्फ मंजीत निवासी ग्राम हिन्दूखेडा थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव।

2–अभिषेक प्रताप निवासी डीएसएन रोड एबी नगर थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव।

बरामदगी

1–लूटे गये 84 हजार 900 रूपये नगद।

2–02 मोबाइल फोन।

3–बैग, डायरी, नोट बुक।

4–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

जनपद सहारनपुर/थाना मिर्जापुर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 90 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के 08 चाँदी के सिक्के, 02 आधार कार्ड, 01 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 21.09.2023 को थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कासमपुर पुलिया के पास से 05 अभियुक्तों 1–राहुल उर्फ विक्रान्त 2–अजीम 3–नदीम 4–रिजवान 5–मोहसीन को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 90 हजार रूपये नगद, चोरी के 08 चाँदी के सिक्के, 02 आधार कार्ड, 01 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 12/13.09.2023 को थाना मिर्जापुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, सिक्के आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राहुल उर्फ विक्रान्त निवासी ग्राम रामपुर जमाईपुरा थाना गंगनहर रूडकी जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड।

2–अजीम निवासी ग्राम रामपुर जमाईपुरा थाना गंगनहर रूडकी जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड।

3–नदीम निवासी ग्राम रामपुर जमाईपुरा थाना गंगनहर रूडकी जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड।

4–रिजवान निवासी ग्राम रामपुर जमाईपुरा थाना गंगनहर रूडकी जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड।

5–मोहसीन निवासी ग्राम रामपुर जमाईपुरा थाना गंगनहर रूडकी जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड।

बरामदगी

1–चोरी के 90 हजार रूपये नगद।

2–चोरी के 08 चाँदी के सिक्के, 02 आधार कार्ड, 01 मोबाइल फोन आदि।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना तिलहर

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **02 मोबाइल फोन, 01 टार्च**
- **01 पिकअप वाहन आदि बरामद**

दिनॉकः 21.09.2023 को थाना तिलहर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गुरगिया के जंगल में बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जिसमें एक आरक्षी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–दानिश उर्फ छोटू 2–मुन्ना 3–छोटे घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 4–इमरान सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 02 मोबाइल फोन, 01 टार्च, 01 पिकअप वाहन आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना तिलहर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दानिश उर्फ छोटू निवासी मोहल्ला इमली मौजमपुर थाना तिलहर जनपद शाहजहॉपुर मूल निवासी कस्बा व थाना शेरगढ जनपद बरेली।

2–मुन्ना निवासी ग्राम गुरगवां थाना थाना तिलहर जनपद शाहजहॉपुर।

3–छोटे निवासी ग्राम भूडा थाना भोजीपुरा जनपद बरेली।

4–इमरान निवासी मोहल्ला उम्मरपुर थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1–03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–02 मोबाइल फोन, 01 टार्च।

3–01 पिकअप वाहन आदि।

जनपद हमीरपुर/थाना जरिया

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **15 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **06 खोखा /मिस कारतूस विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे बरामद**

दिनॉक: 21.09.2023 को थाना जरिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र में अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 03 अभियुक्तों 1–मंगल 2–निखिल 3–पंकज उर्फ राजा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 15 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 06 खोखा /मिस कारतूस विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना जरिया पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मंगल निवासी ग्राम परछा थाना जरिया जनपद हमीरपुर।

2–निखिल निवासी ग्राम पुरैनी थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर।

3–पंकज उर्फ राजा निवासी ग्राम पुरैनी थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर।

बरामदगी

1–15 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–06 खोखा /मिस कारतूस विभिन्न बोर।

3–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे।

जनपद बिजनौर/थाना स्योहारा

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 09 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 21.09.2023 को थाना स्योहारा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1–अक्षित 2–कमलजीत उर्फ बौबी को गिरफ्तार किया गया एवं एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 09 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना स्योहारा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अक्षित निवासी बगवाडा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

2–कमलजीत उर्फ बौबी निवासी मौरमकदमपुर थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

बरामदगी

1–चोरी की 09 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

———